संख्या-14/2022/62/12-5-2022/सा0-01/2019

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक:: 16 मार्च, 2022

विषय: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0 किसान)योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों के सम्पादन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

किसानों के कल्याण के लिए संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर शासन स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। समीक्षा करने पर पाया गया कि योजना के कतिपय महत्वपूर्ण कार्यों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि योजना के अवशेष पात्र लाभार्थियों को भी यथाशीघ्र योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

योजना की प्रगति समीक्षा के दौरान ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, वे निम्न प्रकार है :-

1. विकास खण्ड स्तर पर कई बार "पी0एम0 किसान सम्मान निधि समाधान अभियान" के आयोजन द्वारा बड़ी संख्या में लाभार्थियों के रिकार्ड में त्रुटि समाप्त कर उन्हें लाभ दिलाया गया है। परन्तु अभी भी कई ऐसे लाभार्थी है, जिन्हें एक या एक से अधिक, योजना की किस्त प्राप्त हो चुकी है, किन्तु उनका आधार नम्बर इन्वैलिड होने अथवा पोर्टल पर आधार कार्ड के अनुसार नाम न फीड होने के कारण उनका भुगतान रूक गया है। कई जनपदों ने इस संबंध में बहुत अच्छा कार्य किया है और इस प्रकार की समस्या का लगभग पूर्ण निराकरण कर दिया है। उन अधिकारियों के फीड बैक से यह ज्ञात हुआ कि लाभ प्राप्त कर चुके किसानों का विवरण उन्होने संबंधित बैंक से प्राप्त करके अथवा तहसील के अभिलेखागार में सुरक्षित रखे गये अभिलेखों से मिलान करते हुए इन्वैलिड आधार संख्या और आधार के अनुसार नाम का सुधार कराया, जिसके कारण उनकी प्रगति अच्छी हो गयी है।

जिन जनपदों की इन्वैलिड और आधार नाम मिसमैच के अधिक प्रकरण लम्बित हैं, उन्हें भी बैंक के रिकार्ड और तहसील के अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों के आधार पर इन्वैलिड आधार तथा नेम मिसमैच के डाटा को यथाशीघ्र सुधार करना चाहिए। इसे शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया जाए।

2. पीएम-किसान पोर्टल पर ओपेन सोर्स से self Registered Farmer का सत्यापन कराते हुए उनका निस्तारण किये जाने की कार्यवाही भी कई जनपदों में शेष है। ओपेन सोर्स से self Registered किसानों में से अधिकांश किसान वे है, जो वरासत के आधार पर योजना के लाभार्थी बने है। ऐसे लाभार्थियों के सत्यापन तथा घोषणा पत्र में संशोधन करने के निर्देश शासनादेश संख्या-44/2021/842/12-5-2021/सा०-01/2019, दिनांक 27.12.2021 एवं शासनादेश संख्या-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11/2022/61/12-5-2022/सा०-01/2019, दिनांक 09.03.2021 द्वारा जारी किये गये है। तद्नुरूप उनसे घोषणा पत्र प्राप्त करते हुए अभिलेखों का सत्यापन कराकर यथाशीघ्र पात्र या अपात्र चिन्हित करते हुए, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अवशेष कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाए ताकि उन्हें भी यथाशीघ्र योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

3. योजनान्तर्गत प्राप्त हो रही शिकायतों के गुणवत्ता पूर्ण निराकरण के संबंध में शासनादेश संख्या-39/2021/1882304/12-5099/11/2021(पार्ट-1), दिनांक 13.10.2021 निर्गत किया गया है। इस शासनादेश में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शिकायतों के जनपद स्तर पर ही गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के निर्देश दिये गये है। शिकायतों के ऑनलाइन निराकरण में प्रदेश की स्थिति अच्छी है। अस्तु कृपया नियमित रूप से शिकायतों का निराकरण कराते रहें, ताकि शिकायतें लम्बित न रहें।

4. योजनान्तर्गत लाभार्थियों ने आयकर दाता न होने की गलत घोषणा पत्र देकर अथवा अन्य कारणों से अपात्र हुए प्रकरणों में तत्परता से वसूली कराते हुए निर्धारित बैंक खाते में धनराशि जमा करायी जानी है तथा उनका विवरण पी0एम0 किसान पोर्टल पर फीड कराना है। जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि वे इस बिन्दु की भी पाक्षिक समीक्षा करते हुए अपेक्षित प्रगति लाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो धनराशि राज्य स्तरीय खाते में जमा होकर उसके सापेक्ष पोर्टल पर भी जानकारी उपलब्ध हो जाए जिससे भविष्य में समायोजन में कठिनाई न हो।

5. केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 से पी0एम0 किसान का लाभ पाने हेतु प्रत्येक लाभार्थी को KYC Compliance किया जाना आवश्यक है। ये कार्यवाही त्वरित गति से की जानी है जिससे आगामी किश्त कृषकों को समय से देने पर कोई बाधा न पहुचें। इस हेतु समाचार पत्रो /सोशल मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए तथा यथासंभव लाभार्थी के मोबाइल/ व्हाटसअप ग्रुप के माध्यम से भी जानकारी कृषकों को दे दी जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान चलाकर इस कार्यवाही को सम्पन्न कराया जाए तथा इसकी नियमित समीक्षा भी मुख्यालय स्तर पर की जाए।

6. जनपद स्तर पर गठित पी0एम0यू0 को सतत् रूप से सक्रिय रखा जाए जिससे उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही त्वरित गति से हो। यह भी आवश्यक है कि जिलाधिकारी के स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जाती रहे।

उल्लेखनीय है कि आप सब के अथक प्रयास से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी रहा है। आपसे अपेक्षा है कि उक्त् समस्याओं का निराकरण आप व्यक्तिगत रूचि लेकर करा दें, ताकि अवशेष पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ यथाशीघ्र मिल सकें और प्रदेश योजना के क्रियान्वयन में भविष्य में भी अग्रणी बना रहे।

भवदीय,
डॉ० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in